झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 13.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	प्रो0-जयप्रकाश वर्मा स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थाना के गॉव-गादी पो0- लेदा निवासी स्वर्गीय राम देव यादव उर्फ खोशी यादव को उग्रवादियों द्वारा दिनांक- 30.04.1996 को हत्या कर दिया गया। हत्या के उपरान्त स्व0- यादव की पत्नी मो0द्रोपती देवी का आर्थिक स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गयी है तथा पैसे के अभाव में अपना समुचित ईलाज नहीं करा पा रही है साथ ही इनके बच्चे मजदूरी कर जीवीकापार्जन कर रहे है। इससे उनकी पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गयी है। उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अनुशंसा की गयी थी परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली गयी है। अतः मैं सरकार से मृतक रामदेव यादव उर्फ खुशी यादव के पुत्र श्री भोला कुमार यादव को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह
02-	सर्वश्री डॉ0 इरफान अंसारी, आलमगीर आलम एवं श्री बादल स0वि0स0	संथाल परगना के छह जिलों में पाकुड़ साहेबगंज, दुमका, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा में विभाग की मिली भगत से पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है, करोड़ों का राजस्व की केवल चोरी हो रही है, बल्कि पहाड़ो को तोड़ा जा रहा है। संथाल परगना का पर्यावरण नष्ट किया जा रहा है। पत्थरों का कालाबाजारी हो रहा है।	खनन एवं भूतत्व

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		दुसरे राज्यों में ही नहीं बल्कि बंगलादेश में भी पत्थर भेजा जा रहा है। खनन् नियमों को ताक पर रख अवैध कमाई अधिकारी कर रहे है। स्थानीय लोगों द्वारा रोके जाने पर उलटे उन लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का धारा लगाकर मुकदमा किया जा रहा है। स्थिति अत्यन्त ही भयावह है, ग्रामीणों एवं विभागीय पदा0 के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करें। अतः अवैध खनन् को रोका जाए, तोड़े जा रहे पहाड़ों को रोका जाए, सरकारी राजस्व की चोरी को रोका जाए एवं संथाल परगना की स्थिति समान्य करते हुए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा कोयल नदी से ग्राम- भंड़रिया से नारायणपुर होते सोन नदी तक निर्माण कराया गया है, जिसे जिर्णोद्धार हेतु वर्ष- 2013-14 2014-15 में लगभग 6 छः करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है, जो संवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण राशि पदाधिकारी एवं संवेदक के मिली भगत से निकासी कर लिया गया है। अतः उच्च पदाधिकारी से जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए योजना का कार्य पूर्ण कराने का सरकार का ध्यानआकृष्ट कराना चाहता हूँ।	जल संसाधन
04-	सर्वश्री ताला मराण्डी, अशोक कुमार एवं श्री रघुनन्दन मण्डल स0वि0स0	गोड्डा जिला अन्तर्गत कुल 8 (आठ) विद्युत सबस्टेशन प्रखण्डवार स्थापित है। जिसके अन्तर्गत कुल 32 के0भी0ए0 का ट्रान्सफर्मर अधिष्ठापित है, जिसके क्षमता के अनुसार कुल 40 से 45 मेगावार्ड विद्युत की आपूर्ति प्रतिदिन किया जाना चाहिए, लेकिन गोड्डा जिला को मात्र सुबह के समय 25 से 30 एवं शायं में 6:00 बजे से गोड्डा जिला को महज 25 से 30 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किये जाने से गोड्डा जिला विद्युत की समस्याओं से जुझ रहा है, जिस कारण खास कर ग्रामीण इलाकों में महज शाम या रात में दो से तीन घंटा की आपूर्ति की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खास कर पढ़ने वाले बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार 3 लीटर किरासन तेल मिल रहा है जो पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से समुचित बिजली नहीं मिलने से कई समस्याओं को पैदा कर रहा है। अतः मैं गोड्डा जिला को निर्वाध 40 से 45 मेगावाट विद्युत आपूर्ति जिला को देने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ऊर्जा

01.	02.	03.	04.
05-	श्रीमती मेनका सरदार स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला प्रखण्ड डुमुरिया के खाद्यान आपूर्ति मुसाबनी गोदाम से किया जाता है जिसके चलते डुमुरिया के राशन डिलरों को कठिनाई हो रही है। अतः मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ कि राशन का उठाव डुमुरिया गोदाम से कराने कि कृपा कि जाए।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

राँची
दिनांक- 13 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1178/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/गृह विभाग/ खनन एवं भूतत्व विभाग/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1178/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

12/03/15